

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय) का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश - 164

का0आ0-प्र0 3/एम0-10-16/2025

पटना, दिनांक... 20/08/2025

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक 25.06.2003 से निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003 तथा संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010 एम0ए0सी0पी0 नियमावली-2010 के अधीन दिनांक-18.07.2025 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के अनुरूप सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए0सी0पी0) नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत विभागीय कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) सम्वर्ग (वेतनमान रू0 5000-8000/- अथवा वेतन स्तर-7) के निम्नलिखित कनीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की प्रभावी तिथि-09.08.1999 के आलोक में 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से प्रथम एवं 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (प्रथम वृत्ति उन्नयन-अपुनरीक्षित वेतनमान रूपये 6500-10500/- एवं द्वितीय वृत्ति उन्नयन-अपुनरीक्षित वेतनमान रूपये 10000-15200/-) तथा एम0ए0सी0पी0 नियमावली 2010 के प्रावधान के तहत एम0ए0सी0पी0 के प्रभावी तिथि 01.01.2009 के आलोक में 10 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के तिथि से प्रथम, 20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से द्वितीय तथा 30 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 स्वीकृत किया जाता है।

क्रम सं०	वरीयता क्रमांक / 16	वरीयता क्रमांक / 09	नाम	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	प्रोन्नति की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (12 वर्ष) अपुनरीक्षित वेतनमान 6500-10,500 रू०	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (24 वर्ष) अपुनरीक्षित वेतनमान 10,000-15,200 रू०	प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (10 वर्ष) वेतन बैंड PB-2 ग्रेड पे 4600/- अथवा वेतन स्तर-8	द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (01.01.2009 या उसके बाद) (20 वर्ष) वेतन बैंड PB-3 ग्रेड पे 5400/- अथवा वेतन स्तर-9 अथवा वेतन स्तर-11	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (01.01.2009 या उसके बाद) (30 वर्ष) वेतन बैंड PB-3 ग्रेड पे 6600/- अथवा PB-3 ग्रेड पे 7600/- अथवा वित्त विभागीय परिपत्र सं०-8892 दि०-14.11.17 के आलोक में वेतन स्तर-12	स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1905	सुरेन्द्र कुमार राय सेवानिवृत्त दिनांक-28.02.2019	05/02/1959	04/01/1988	3441 18.03.2011 से स०अ०गि० में प्रोन्नत	283 07.09.2009 द्वारा दिनांक-04.01. 2000 के प्रभाव से			21 25.01.2018 द्वारा दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से	04-01-2018	दिनांक-04.01.2018 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत
2	152	2691	बुद्ध प्रिय नरेश दिनांक-31.03.2024 को सेवानिवृत्त।	14/03/1964	13/09/1989	6721 07.11.2023 द्वारा स०अ० में उत्क्रमित	21 09.02.2024 द्वारा 13.09.2001 के प्रभाव से			13-09-2009	13-09-2019	दिनांक-13.09.2009 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 पी0बी0-3+ग्रेड पे-5400 में स्वीकृत दिनांक-13.09.2019 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत
3		853(xxxi)	मो० नेशार अहमद खॉं दिनांक-31.01.2004 को सेवानिवृत्त।	02/01/1946	06/07/1971		09-08-1999	09-08-1999				दिनांक-09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० अपुनरीक्षित वेतनमान 6500-10500 में स्वीकृत दिनांक-09.08.1999 के प्रभाव से द्वितीय ए०सी०पी० अपुनरीक्षित वेतनमान 10000-15200 में स्वीकृत
4	343	3291	नागेन्द्र कुमार	18/04/1981	28/02/2007				28-02-2017			दिनांक-28.02.2017 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत (आर्थिक लाभ दिनांक-01.04. 2017 से देय)
5	334	3255	ब्रह्मानन्द पासवान	04/01/1973	01/04/1999				01-04-2009	01-04-2019		दिनांक-01.04.2009 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी० पी०बी०-2+ग्रेड पे - 4600 में स्वीकृत दिनांक-01.04.2019 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी० वेतन स्तर-9 में स्वीकृत
6		2354	शिवदानी कुमार दिनांक-31.05.2021 को सेवानिवृत्त।	05/05/1961	28/12/1987	15 03.01.2011 द्वारा स०अ० में प्रोन्नत	283 07.09.2009 द्वारा 28.12.1999 के प्रभाव से			01-01-2009	28-12-2017	दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी० पी०बी०-3+ग्रेड पे - 5400 में स्वीकृत दिनांक-28.12.2017 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी० वेतन स्तर-12 में स्वीकृत

7	154	2719	शेखर शरण श्रीवास्तव दिनांक-30.06.2024 को सेवानिवृत्त।	01/07/1964	10/11/1989		94 25.03.2010 द्वारा 01.11.2001 के प्रभाव से		10-11-2009	10-11-2019	दिनांक-10.11.2009 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 पी0बी0-3+ग्रेड पे - 5400 में स्वीकृत दिनांक-10.11.2019 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत
8		3285	तुलसी प्रसाद	10/03/1973	07/05/1999	5979 26.04.2010 द्वारा स0अ0 में प्रोन्नत 6465 26.10.2023 द्वारा कार्य0अ0 में उत्क्रमित		164 31.12.2021 द्वारा 07.05. 2009 के प्रभाव से	07-05-2019		दिनांक-07.05.2019 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-9 में स्वीकृत।
9		1945	रजन धारी सिंह	02/01/1966	30/12/1987	08.03.2011 से स0अ0 में प्रोन्नत	73 21.06.2023 द्वारा 31.12.1999 के प्रभाव से		73 21.06.2023 द्वारा 01.01.2009 के प्रभाव से	30-12-2017	दिनांक-30.12.2017 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत।
10	419	3396	सिद्धार्थ कुमार	18/08/1974	22/06/2007			22-06-2017			दिनांक-22.06.2017 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत
11	340	3275A	कुलानन्द चौधरी	09/01/1968	05/04/1999	6721 07.11.2023 द्वारा स0अ0 में उत्क्रमित		21 25.01.2018 द्वारा 05.04. 2009 के प्रभाव से	05-04-2019		दिनांक-05.04.2019 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-9 में स्वीकृत
12	414	3374	विकास कुमार	05/10/1981	05/07/2007	6719 07.11.2023 द्वारा स0अ0 में उत्क्रमित		05-07-2017			दिनांक-05.07.2017 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत
13	351	3312	राज कमल	04/12/1980	28/03/2007	6721 07.11.2023 द्वारा स0अ0 में उत्क्रमित		28-03-2017			दिनांक-28.03.2017 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत (आर्थिक लाभ दिनांक-01.04. 2017 से देय)
14	30 (2014)		श्री राधेश्याम प्रसाद सिंह (यात्रिक)	07/01/1982	08/10/2012			08-10-2022			दिनांक-08.10.2022 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत
15	89	2340	मो0 मोईनुद्दीन दिनांक-31.07.2020 को सेवानिवृत्त।	06/07/1960	04/01/1988		04-01-2000		01-01-2009	04-01-2018	दिनांक-04.01.2000 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 अपुनरीक्षित वेतनमान 6500-10500 में स्वीकृत दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 पी0बी0-3+ग्रेड पे - 5400 में स्वीकृत दिनांक-04.01.2018 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत
16	250	3062	उज्जवल कुमार	07/09/1970	31/03/1999	6721 07.11.2023 द्वारा स0अ0 में उत्क्रमित		15 10.01.2019 द्वारा 31.03. 2009 के प्रभाव से	31-03-2019		दिनांक-31.03.2019 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-9 में स्वीकृत
17	138	2629	जयन्त कुमार	30/09/1966	18/01/1988	6721 07.11.2023 द्वारा स0अ0 में उत्क्रमित	94 25.03.2010 द्वारा 18.01.2000 के प्रभाव से		21 25.01.2018 द्वारा 01.01.2009 के प्रभाव से	18-01-2018	दिनांक-18.01.2018 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत
18		1524	कामिनी प्रसाद महतो मृत 25.12.2013	04/01/1955	27/12/1982	628 12.01.2010 द्वारा स0अ0 में प्रोन्नत	238 13.12.2012 द्वारा 09.08.1999 के प्रभाव से	238 13.12.2012 द्वारा 17.12.2006 के प्रभाव से		27-12-2012	संस्थित दंड का प्रभाव दिनांक-30. 06.2013 तक प्रभावी रहने के कारण दिनांक-01.07.2013 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत
19	386		मनीष कुमार	15/11/1980	08/03/2014	4703 23.09.2024 द्वारा स0अ0 में उत्क्रमित		08-03-2024			दिनांक-08.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत
20	404		सुमित कुमार	01/12/1986	27/10/2014			27-10-2024			दिनांक-27.10.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत
21	39 (2014)		माधुरी कुमारी (यात्रिक)	01/01/1985	10/9/2012			10-09-2022			दिनांक-10.09.2022 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत
22	443		मनोज कुमार	12/12/1978	14/09/2012			14-09-2022			दिनांक-14.09.2022 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत
23	400		राम पूजन सिंह	01/01/1968	26/03/2014			26-03-2024			दिनांक-26.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत

2. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मों को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अंतर राशि की वसूली कर ली जायेगी।

3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

4. नियंत्रि पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक जाँच कर लेंगे एवं जाँचोपरांत स्वीकृत लाभों में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्तगी, दंडादेश जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन को प्रभावित करता हो) पाया गया तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

5. जिन कर्मियों की सेवा संपुष्टि/स्थायीकरण पूर्व में नहीं हुआ है एवं सेवापुस्त में अंकित नहीं है, उन्हें सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का निर्धारण के पूर्व सेवा संपुष्टि/स्थायीकरण संबंधित मामला विभाग को भेजा जाय। स्थायीकरण/सेवा संपुष्टि के पश्चात् ही वेतन निर्धारण संबंधी कार्रवाई की जाय।

6. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मों का वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम-8 के अनुसार किया जाना है। वेतन नियतन मौलिक नियमावली के नियम - 22 (i) (A) (i) के प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्रि/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि उक्त नियमावली के नियम - 8 के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

7. वित्तीय उन्नयन की देय तिथि के पूर्व पदत्याग/मृत/सेवा निवृत्त/बर्खास्त (न्यायालयीय आदेश से सेवा में पुनः बने रहने संबंधी आदेश को छोड़कर) एवं वर्तमान से निलंबित अभियंताओं के लिए यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(क) वैसे कनीय अभियंता, जिन्हें प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के पूर्व सहायक अभियंता के रूप में नियमित प्रोन्नति प्राप्त हो गयी है, उन्हें प्रथम वित्तीय उन्नयन देय नहीं होगा।

(ख) वैसे कनीय अभियंता, जिन्हें देय तिथि से पूर्व कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति प्राप्त हो गई है, को द्वितीय वित्तीय उन्नयन देय नहीं होगा।

8. उप अधिदर्शक/सर्वेयर आदि पदों से कनीय अभियंता के पद पर प्रोन्नत कर्मियों का मामला प्रकाश में आने पर वैसे कर्मियों की सेवापुस्त के साथ पूरे मामले को विभाग में उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक-प्र० 3/एम०-10-16/2025

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-महालेखाकर, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक-एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र0 3/एम0-10-16/2025

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र0 3/एम0-10-16/2025

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय) का कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, पथ, निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ, निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ, निर्माण विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 6 एवं 13/14 तथा लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के अभिलेख से उनके योगदान की तिथि एवं सेवा से संबंधित आवश्यक जाँच कर वेतन निर्धारण एवं अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र0 3/एम0-10-16/2025

5486(E)

पटना, दिनांक..... 20/08/2025

प्रतिलिपि-आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

18.8.25